न्द लाल सिह
पी0सी0एस0
लसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

त्रांकः–ए0के0टी0यू0 / कु.स0का0 / स0वि0 / 2021 / 13492 (1027)

दिनांकः 31 अगस्त, 2021

College Code 1027

ा में,
निदेशक / प्राचार्य,

HARSHA INSTITUTE OF PHARMACY , LUCKNOW

349, KHANIPUR, BANGAWN, ITAUNJA, LUCKNOW , Lucknow

यः शैक्षिक सत्र 2021–22 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

दय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी उन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2021–22 हेतु आपके संस्थान को न की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 1–22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

urse Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
chelor of armacy	Bachelor of Pharmacy	Shift I	0	0	60	60

ोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन–पाठन / पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा मानकानुसार फैकल्टी की न्यूनता को 01 माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

3. बी.फार्म / एम.फार्म. / बी.आर्क. / एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई. / सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन / डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश / शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण–प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन / विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उना समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 2010 के अध्याय–6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईजड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि कूट रचना / विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं

21–22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय की लिखित ...
के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेंगा।

रम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को सूचित करें। (विनियमः 6.18)

एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार ी की जायेगी। (विनियमः 6.25बी.)

उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय गत करायें। (विनियमः 6.13)

की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत (विनियमः 6.16)

द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह न स्वतः निरस्त हो जायेगा।

तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमो हेतु सम्बन्धित व्यवसाय संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2021–22 हेतु मान्यता का पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न दशा में फार्मेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021–22 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न उंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं यी होगा।

का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थानो की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियो / अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आर धिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क रिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / आदेशों का न संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी ा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित / अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति र्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क / डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त वं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

(Academic Monitoring System) के संबंध मे विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0 / कुस0 का0 / 2014 / 4414–21 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

द्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन त करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को तत्काल ही त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना क होगा।

शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं त छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र

(नन्दलाल सिंह)
कुलसचिव

या व दिनांकः उपरोक्त
नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
सचिव, मा0 कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
विधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
खिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
त।